राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

क्रमांकः प.8(111)RSSB / प.आ. / CET (स्नातक स्तर) म.प. / 2024 / 447 दिनांकः 18/09/24

विज्ञप्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 10/2024 क्रमांक 3121 दिनांकः 06.08.2024 के द्वारा समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) (स्नातक स्तर)–2024 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे, तथा विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम पत्र क्रमांकः 433 दिनांकः 09.09.2024 को प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया है।

उक्तानुसार परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा:–

क्र.स.	परीक्षा का नाम	दिनांक	समय
1.	समान पात्रता परीक्षा(Common Eligibility Test)(स्नातक स्तर)–2024	27.09.2024 (शुक्रवार)	प्रातः 09:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक (चरण–I)
			अपरान्हः 03:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक (चरण–II)
		28.09.2024 (शनिवार)	प्रातः 09:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक (चरण–III)
			अपरान्हः 03:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक (चरण–IV)

परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र हेतु निर्देश :–

1. बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे। उक्त परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र **अभ्यर्थी दिनांक 19.09.2024 को सायं 6.00 बजे से "प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें।** अभ्यर्थी अपने **प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र' वेबसाइट** https://recruitment.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है।

   डाउनलोड करने के स्टेप निम्न प्रकार है :–

   1. Enter Url https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard
   2. Click on Get Admit Card Option.
   3. Click on Get Admit Card Option of Recruitment to download the admit card.
   4. Enter Your Application number and DOB

परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश :–

2. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
3. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
4. **अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जावेगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें।**
5. **परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान–पत्र मे से कोई एक से मिलान किया जावेगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm×2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो(जो Merge, Morphed एवं Tampered किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जाँच की जावेगी) एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।**

6. परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पाँच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पाँचवा विकल्प/गोला 'E' 'अनुत्तरित प्रश्न' से संबंधित होगा।

7. अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर–पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पाँचवा विकल्प/गोले 'E' को गहरा करना होगा।

8. यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जावेगा।

9. 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

10. प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

11. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी **(Frisking Agency/Biomatrics Device)** से Face Recognition हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जाँच के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।

12. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

13. परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक देय होने एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है, उससे संबंधित दिशा–निर्देश(संशोधित) एवं Appendix A, B, C, D & E बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जावेः–

    I. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी व श्रुतलेखक के वचन पत्र Appendix A & B पर तथा नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केन्द्राधीक्षक को कम से कम 01 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक सुविधा देय नही होगी।

    II. बोर्ड के माध्यम से श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने हेतु अभ्यर्थी 02 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्राधीक्षक दिशा–निर्देशानुसार परीक्षण/जांच कर श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध करायेंगे।

    विस्तृत दिशा–निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके अनुसार पूर्णतय पालना की जावे तथा इस पत्र के साथ भी संलग्न वेबसाइट पर पुनः जारी किये गयें है।

परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेसकोड :–

14. ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य देखें। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

    i. पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी–शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आयेंगे।

    ii. महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आवेंगी।

    iii. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।

    iv. परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।

v. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घडी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टकने (Ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी।

vi. गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.27(14) गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नही होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर दो घन्टा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (Suspected Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा।

vii. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुडे हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा।

परीक्षा में नकल/अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून :-

15. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनो का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) मे संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्व, **राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।**

परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

16. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 100/- (रू. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।

17. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है

18. **परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।**

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

सलंग्नः- उपरोक्तानुसार।

18.9.24

(डॉ. बी. सी. बधाल)

सचिव

श्रुतलेखक (SCRIBE) के संबंध में दिशा–निर्देश (संशोधित)

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है–

1. **अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकते हैं:–**

1.1. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जांच ले कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।

1.2. श्रुतलेखक को फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी द्वारा वचन–पत्र केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा।

1.3. अभ्यर्थी को नियमानुसार जारी दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र भी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. **बोर्ड के माध्यम से:–**

(A) **केन्द्राधीक्षक से अनुरोध कर:–** अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा से 02 दिवस पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी। अत अभ्यर्थी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(B) बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक पैनल का प्रयोग कर:– पैनल के माध्यम से श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को परीक्षा से 02 दिवस पूर्व बोर्ड से संपर्क करना होगा। जिला प्रशासन/परीक्षा समन्वयक द्वारा जिलेवार उपलब्ध पैनल में पंजीकृत श्रुतलेखकों को आवश्यकतानुसार श्रुतलेखक के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया जायेगा।

श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन /विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा–निर्देश:–

1. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के समय श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र, वचनपत्र (Appendix-A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix-B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।
3. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section–2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनो हाथों की निःशक्तता– Both Arms) एवं सेरेबरल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (Appendix-C) एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section–2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित्त प्रमाण–पत्र (Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ बोर्ड से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
5. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।

6. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 व 04 के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र है, किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना–पत्र, वांछित दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र एवं वचनपत्र (**Appendix-E**) प्रस्तुत करना होगा।
7. श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (विज्ञापनानुसार) निम्नानुसार है:–

परीक्षा के लिए विज्ञापननुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता
(क) स्नातकोत्तर उपाधि	अधिकतम स्नातक
(ख) स्नातक उपाधि	अधिकतम द्वितीय वर्ष एवं स्नातक अध्ययनरत
(ग) सीनियर सैकण्डरी	अधिकतम सैकण्डरी
(घ) सैकण्डरी	उच्च प्राथमिक

8. अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तथापि भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती है।
9. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य / प्रमाण प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में विवर्जित (Debarment) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
10. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए है, को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
11. बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रूपये की दर से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का श्रुतलेखक लाने पर श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा।
12. श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्न बोलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार ही उत्तर लिखेगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे। केन्द्राधीक्षक गहन निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक सुविधा का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है।
13. बोर्ड द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करवाई जाने वाली श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर तैयार की गई है। अतः बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्राधीक्षक चिकित्सा प्रमाण–पत्रों की जांच कर लेवें तथा उन्हीं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जावें, जो इसके लिये पात्र हैं।
14. बोर्ड की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with benchmark disability" means a person with not less than fourty percent of a specified disability whre specified disability has not been defined in measurable terms and included a person with disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

नोट– स्वंय का श्रुतलेखक लाने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन पश्चात सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित दिव्यांगता साबित नहीं होने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

Annexure-A,B,C,D,E संलग्न हैं। (तथा बोर्ड की मार्गदर्शिका में अंतिम पृष्ठों पर उपलब्ध हैं)

APPENDIX-A

Undertaking by Candidate for using Scribe

Latest Photograph of Scribe (Showing face only)duly Attested by the center superintendent

1. I ____________________________S/o/D/o_______________ a candidate with ___________________________(nature of disability/condition) appearing for the __________________(name of the examination) bearing Roll No.____________at ___________________(name of the center) in the District____________________, Rajasthan. My educational qualification is _____________________.
2. I do hereby state that________________________________(name of the scribe) S/o/D/o_________________________________a resident of ________________________(Village/District/State) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.
3. I do hereby undertake that Scribe's qualification is_________________. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and as decided by the RSSB, Jaipur, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.
4. I am not debarred in any examination from RSSB, Jaipur or any other examination body.
5. In case any of the above information is found wrong then I will be responsible for all consequence as per rule.

(Signature of the candidate)

VERIFICATION

I--verify that the information provided by the candidate has been Checked as per the original document of the candidate.

(Signature of Center Superintendent)

place:

Date:

Note: Kindly Attach self attested copies of Medical Certificate and scribe qualification with this Undertaking.

APPENDIX-B

Undertaking by Scribe

Latest Photograph of Scribe Showing face only duly Attested by the center superintendent

1. I ____________________S/o/D/o______________ a resident of_________________________(Village/District/State) Providing the service of scribe to ___________(name of candidate) S/o/D/o___________________ appearing for the ____________________ (name of the examination) at ___________________ (name of the center) in the District__________ , Rajasthan. My educational qualification is _______________.
2. I do hereby undertake that my qualification is______________ In case, subsequently it is found that my qualification is not as declared by the undersigned and as decided by the Rajasthan Staff selection Board, Jaipur then RSSB Board can take action as per rules.
3. I am not debarred in any examination from RSSB, Jaipur or any other examination body.
4. In case any of above information is found wrong then I shall be debarred permanently for all future examinations conducted Rajasthan Staff selection Board, Jaipur and the Board shall act against me as per law.

(Signature of the Scribe)

VERIFICATION

I-------------------------------verify that the information provided by the scribe has been checked as per the original document of the scribe.

(Signature of Center Superintendent)

Place:
Date:
Note: Attach a copy of Education Qualification Certificate & Photo Identity Proof of Scribe with this Undertaking.

APPENDIX- C

Certificate regarding physical limitation of examinee to write

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

This is to certify that I have examined Mr/Ms/Mrs ....name of the candidate with disability), a person with…... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o…………………………….. a resident of…………………………………………………………………(Village/District/State) and to state that he/she/ has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a

Government health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by an authorised specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability- Orthopaedic specialist/PMR)

APPENDIX- D

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

1. This is to certify that we have examined Mr/Ms/Mrs ………………………………………….. (name of the candidate), S/o /D/o ……………………………………………………., a resident of ………………………………………………………………………(Vill/PO/PS/District/State), aged …………….. yrs, a person with …………………………………… (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.
2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe: ....
3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto __________ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopaedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if required)	Occupational therapist (if required)	Any other Expert based on the condition of the candidate, as nominated by the Chairperson
(Signature & Name) Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer………Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal

Place:
Date:

APPENDIX- E

Undertaking by Candidate for availing only Compensatory Time

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1. I ______________________________S/o/D/o___________________________ a candidate with ________________________________ (nature of disability/condition) appearing for the ____(name of the examination) bearing Roll No. _______________ at ____ ________________ (name of the center) in the District ___________, Rajasthan.
2. I do hereby undertake that I am eligible for availing Compensatory Time for aforementioned examination according to RSSB, Jaipur guidelines. In case, subsequently it is found that I am not eligible for the same, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.
3. In case any of the above information is found wrong then I will be responsible for all consequence as per rule.

(Signature of the candidate)

VERIFICATION

I ---verify that the information provided by the candidate has been checked as per the original document of the candidate.

(Signature of Center Superintendent)

Place:
Date:
Note: Kindly Attach self attested copies of Medical Certificate and other related document applicable as per rule.